संख्या–1095 / अड़सठ–3–2019

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 30 सितम्बर, 2019

विषय–मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत नवीन बर्तन क्रय एवं बर्तन रिप्लेसमेन्ट हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–म0भो0प्रा0 / सा0 / 968 / 2019–20 दिनांक 16.07.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश के 656 विद्यालयों में नवीन बर्तन क्रय हेतु व 16573 विद्यालयों में बर्तन रिप्लेसमेन्ट अर्थात् 17,229 विद्यालयों हेतु कुल धनराशि रू0–861.45 लाख (रू0 आठ करोड़ इकसठ लाख पैंतालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) उक्त स्वीकृति धनराशि जिलाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार आहरित कर निर्धारित कार्यो पर व्यय की जायेगी। जिलाधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त मद में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि का पुनः आहरण न होने पाये तथा धनराशि कालातीत हो जाने के लिए संबंधित अधिकारी / कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) इस धनराशि के लेखों की रख–रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समयान्तर्गत निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु निर्गत की जा रही है, उसका उपभोग उसी कार्य हेतु किया जायेगा।

(4) धनराशि स्वीकृति किये जाने में वित्त (आय–व्यक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक–22.03.2019 में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(5) धनराशि वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही कोषागार से धनराशि का आहरण करेगें।

(6) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) प्रश्नगत प्रकरण के संदर्भ में सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत योजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत आय–व्ययक के अनुदान संख्या–71 के लेखा शीर्ष '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–01–केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें–0102–खाद्यान्न तथा प्रबन्धन व्यय (के.60/रा.40)–20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11 के अशासकीय सं0–ई–11–916/दस–19 दिनांक–30 सितम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(कामता प्रसाद सिंह)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–1095(1)/अड़सठ–3–2019–1620/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0,लखनऊ।
3– श्रम आयुक्त, कानपुर ।
4– निदेशक ,बेसिक/माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
5– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
6– वरिष्ठ शोध अधिकारी,शिक्षा विभाग ।
7– नियोजन विभाग अनुभाग–4,उ0प्र0 शासन ।
8– वित्त ई–11 अनुभाग,उ0प्र0 शासन ।
9– बजट अनुभाग–2,उ0प्र0 शासन ।
10– वित्त नियंत्रक,बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
11– संबंधित समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
12– संबंधित समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ0प्र0।
13– संबंधित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग।
14– राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उ0प्र0 लखनऊ।
15– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद सिंह)
उप सचिव।

संख्या–1095/अड़सठ–3–2019

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 30 सितम्बर, 2019

विषय–मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत नवीन बर्तन क्रय एवं बर्तन रिप्लेसमेन्ट हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–म0भो0प्रा0/सा0/968/2019–20 दिनांक 16.07.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश के 656 विद्यालयों में नवीन बर्तन क्रय हेतु व 16573 विद्यालयों में बर्तन रिप्लेसमेन्ट अर्थात् 17,229 विद्यालयों हेतु कुल धनराशि रू0–861.45 लाख (रू0 आठ करोड़ इकसठ लाख पैंतालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) उक्त स्वीकृति धनराशि जिलाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार आहरित कर निर्धारित कार्यो पर व्यय की जायेगी। जिलाधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त मद में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि का पुनः आहरण न होने पाये तथा धनराशि कालातीत हो जाने के लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) इस धनराशि के लेखों की रख–रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समयान्तर्गत निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु निर्गत की जा रही है, उसका उपभोग उसी कार्य हेतु किया जायेगा।

(4) धनराशि स्वीकृति किये जाने में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक–22.03.2019 में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(5) धनराशि वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही कोषागार से धनराशि का आहरण करेगें।

(6) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) प्रश्नगत प्रकरण के संदर्भ में सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत योजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत आय–व्ययक के अनुदान संख्या–71 के लेखा शीर्ष '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–01–केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें–0102–खाद्यान्न तथा प्रबन्धन व्यय (के.60 / रा.40)–20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11 के अशासकीय सं0–ई–11–916 / दस–19 दिनांक–30 सितम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(कामता प्रसाद सिंह)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–1095(1) / अड़सठ–3–2019–1620 / 2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0,लखनऊ।
3– श्रम आयुक्त, कानपुर ।
4– निदेशक ,बेसिक / माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
5– समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
6– वरिष्ठ शोध अधिकारी,शिक्षा विभाग ।
7– नियोजन विभाग अनुभाग–4,उ0प्र0 शासन ।
8– वित्त ई–11 अनुभाग,उ0प्र0 शासन ।
9– बजट अनुभाग–2,उ0प्र0 शासन ।
10– वित्त नियंत्रक,बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
11– संबंधित समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
12– संबंधित समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ0प्र0।
13– संबंधित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग।
14– राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उ0प्र0 लखनऊ।
15– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद सिंह)
उप सचिव।

संलग्नक-7

No.: ....

[Mid Day Meal Scheme, U.P.]

Fund Allocation for the Procurement & Replacement of Kitchen Devices

Grant-71

(Amount in Lakh)

S.N.	Ditricts	For New Procurement		For Replacement		Total (Procurement + Replacement)	
		No. of Schools	Amount @ Rs. 5000/- per school	No. of Schools	Amount @ Rs. 5000/- per school	No. of Schools	Amount @ Rs. 5000/- per school
	TOTAL	**656**	**32.80**	**16573**	**828.65**	**17229**	**861.45**
1	01-AGRA	5	0.25	227	11.35	232	11.60
2	02-ALIGARH	0	0.00	396	19.80	396	19.80
3	03-ALLAHABAD	5	0.25	569	28.45	574	28.70
4	04-AMBEDKAR NAGAR	0	0.00	313	15.65	313	15.65
5	05-AURAIYA	0	0.00	183	9.15	183	9.15
6	06-AZAMGARH	0	0.00	469	23.45	469	23.45
7	07-BADAUN	2	0.10	149	7.45	151	7.55
8	08-BAGHPAT	5	0.25	89	4.45	94	4.70
9	09-BAHRAICH	6	0.30	362	18.10	368	18.40
10	10-BALLIA	0	0.00	384	19.20	384	19.20
11	11-BALRAMPUR	6	0.30	414	20.70	420	21.00
12	12-BANDA	0	0.00	156	7.80	156	7.80
13	13-BARABANKI	23	1.15	420	21.00	443	22.15
14	14-BAREILLY	110	5.50	377	18.85	487	24.35
15	15-BASTI	0	0.00	189	9.45	189	9.45
16	16-BHADOHI	2	0.10	140	7.00	142	7.10
17	17-BIJNOR	0	0.00	206	10.30	206	10.30
18	18-BULANDSHAHR	0	0.00	244	12.20	244	12.20
19	19-CHANDAULI	4	0.20	74	3.70	78	3.90
20	20-CHITRAKOOT	0	0.00	153	7.65	153	7.65
21	21-AMETHI	1	0.05	438	21.90	439	21.95
22	22-DEORIA	0	0.00	624	31.20	624	31.20
23	23-ETAH	255	12.75	314	15.70	569	28.45
24	24-FAIZABAD	0	0.00	165	8.25	165	8.25
25	25-FARRUKHABAD	0	0.00	250	12.50	250	12.50
26	26-FATEHPUR	4	0.20	402	20.10	406	20.30
27	27-FIROZABAD	0	0.00	345	17.25	345	17.25
28	28-G. B. NAGAR	1	0.05	61	3.05	62	3.10
29	29-GHAZIPUR	17	0.85	586	29.30	603	30.15
30	30-GHAZIYABAD	0	0.00	28	1.40	28	1.40
31	31-GONDA	0	0.00	327	16.35	327	16.35
32	32-GORAKHPUR	2	0.10	275	13.75	277	13.85
33	33-HAMIRPUR	0	0.00	58	2.90	58	2.90
34	34-HARDOI	0	0.00	192	9.60	192	9.60
35	35-HATHRAS	1	0.05	163	8.15	164	8.20
36	36-ITAWAH	1	0.05	105	5.25	106	5.30
37	37-J. P. NAGAR	0	0.00	131	6.55	131	6.55
38	38-JALAUN	34	1.70	156	7.80	190	9.50
39	39-JAUNPUR	0	0.00	283	14.15	283	14.15
40	40-JHANSI	0	0.00	117	5.85	117	5.85
41	41-KANNAUJ	0	0.00	156	7.80	156	7.80
42	42-KANPUR DEHAT	10	0.50	72	3.60	82	4.10
43	43-KANPUR NAGAR	4	0.20	295	14.75	299	14.95
44	44-KAAS GANJ	0	0.00	73	3.65	73	3.65
45	45-KAUSHAMBI	3	0.15	68	3.40	71	3.55

(मुमताज अहमद)
वित्त नियंत्रक

S.N.	Ditricts	For New Procurement		For Replacement		Total (Procurement + Replacement)	
		No. of Schools	Amount @ Rs. 5000/- per school	No. of Schools	Amount @ Rs. 5000/- per school	No. of Schools	Amount @ Rs. 5000/- per school
46	46-KUSHINAGAR	0	0.00	193	9.65	193	9.65
47	47-LAKHIMPUR KHERI	0	0.00	346	17.30	346	17.30
48	48-LALITPUR	0	0.00	17	0.85	17	0.85
49	49-LUCKNOW	0	0.00	991	49.55	991	49.55
50	50-MAHOBA	0	0.00	24	1.20	24	1.20
51	51-MAHRAJGANJ	20	1.00	120	6.00	140	7.00
52	52-MAINPURI	0	0.00	128	6.40	128	6.40
53	53-MATHURA	0	0.00	162	8.10	162	8.10
54	54-MAU	0	0.00	216	10.80	216	10.80
55	55-MEERUT	1	0.05	333	16.65	334	16.70
56	56-MIRZAPUR	0	0.00	188	9.40	188	9.40
57	57-MORADABAD	3	0.15	120	6.00	123	6.15
58	58-MUZAFFARNAGAR	25	1.25	85	4.25	110	5.50
59	59-PILIBHIT	1	0.05	69	3.45	70	3.50
60	60-PRATAPGARH	0	0.00	286	14.30	286	14.30
61	61-RAE BARELI	7	0.35	83	4.15	90	4.50
62	62-RAMPUR	0	0.00	171	8.55	171	8.55
63	63-SAHARANPUR	0	0.00	148	7.40	148	7.40
64	64-SANT KABIR NAGAR	0	0.00	245	12.25	245	12.25
65	65-SHAHJAHANPUR	1	0.05	321	16.05	322	16.10
66	66-SHRAWASTI	0	0.00	65	3.25	65	3.25
67	67-SIDDHARTHNAGAR	0	0.00	50	2.50	50	2.50
68	68-SITAPUR	0	0.00	240	12.00	240	12.00
69	69-SONBHADRA	30	1.50	74	3.70	104	5.20
70	70-SULTANPUR	18	0.90	141	7.05	159	7.95
71	71-UNNAO	0	0.00	171	8.55	171	8.55
72	72-VARANASI	0	0.00	203	10.15	203	10.15
73	73-SAMBHAL	0	0.00	99	4.95	99	4.95
74	74-HAPUR	0	0.00	0	0.00	0	0.00
75	75-SHAMLI	49	2.45	86	4.30	135	6.75

(मुमताज अहमद)
वित्त नियंत्रक
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण
उ०प्र० लखनऊ

(कामता प्रसाद सिंह)
उप सचिव
बेसिक शिक्षा विभाग
उ० प्र० शासन

(राजनाथ विश्वकर्मा)
समीक्षा अधिकारी
बेसिक शिक्षा अनुभाग-3
उ० प्र० शासन